संख्या:-101/2023/001-419-23-5-23-18(भवन)-2023

प्रेषक,

कामता प्रसाद सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-5 **लखनऊ : दिनांक : 28 अप्रैल, 2023**

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55(राजस्वलेखा) के अन्तर्गत अनुरक्षण एवं वचनबद्ध व्ययों हेतु प्राविधानित बजट की धनराशि को प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-28बीजीबी/114बीजीबी/निवर्तन/2023-24, दिनांक 18.04.2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान सं0-55 (राजस्वलेखा) के अन्तर्गत अनुरक्षण एवं वचनबद्ध व्ययों हेतु प्राविधानित बजट व्यवस्था के सापेक्ष रू0 9981.00 लाख की धनराशि प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक अनुदान सं0-55 के राजस्व लेखा मद के लेखाशीर्षक 2059(अनावासीय) व 2216 (आवासीय) मद में प्राविधानित धनराशि रू0 15020.00 लाख एवं पूंजीलेखा मद के लेखाशीर्षक 4216-01-700-05-0538-25 (राजभवन लखनऊ के लघु निर्माण कार्य) के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 85.00 लाख अर्थात उक्त मदों में प्राविधानित कुल बजट व्यवस्था रू0 15105.00 लाख के सापेक्ष रू0 8787.50 लाख (रू0 सत्तासी करोड़ सत्तासी लाख पचास हजार मात्र) की धनराशि को प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों -

(1) व्यवस्थित धनराशि के सापेक्ष आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका से सम्बन्धित नियमों, स्थायी आदेशों एवं वित्त(आय-व्ययक) अनु0-1 के शासनादेश सं0-02/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दि0 17.03.2023 में उल्लिखित समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अनिवार्य रूप से अनुपालन करते हुए केवल स्वीकृत मदों के अन्तर्गत किया जायेगा तथा किसी भी दशा में इसका उपयोग अन्य मदों के अन्तर्गत नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

(2) उक्त निवर्तन की धनराशि के व्यय करने से पूर्व सक्षम स्तर का अनुमोदन अवश्य प्राप्त किया जाये एवं व्यय की स्थिति से प्रत्येक माह शासन को भी अवगत कराया जाये।

(3) निवर्तन पर निर्गत की जा रही धनराशि के सम्बन्ध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। जिन मामलों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति, विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) वर्तमान में नगरीय निकाय चुनाव के दृष्टिगत यदि कोई कार्य नगरीय सीमा के अन्तर्गत सम्मिलित हो तथा आचार संहिता से आच्छादित होता हो तो विभागाध्य द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी रहने तक कोई भी धनराशि आवंटित/निर्गत न की जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय -

लेखाशीर्ष : 2059010530301(राजभवन लखनऊ परिसर - भवन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	55	2059010530301 राजभवन लखनऊ परिसर - भवन	09 विद्युत देय (भारित)	50,00,000 (रूपये पचास लाख मात्र)
2	55	2059010530301 राजभवन लखनऊ परिसर - भवन	10 जलकर/जल प्रभार (भारित)	50,000 (रूपये पचास हजार मात्र)
3	55	2059010530301 राजभवन लखनऊ परिसर - भवन	17 किराया, उपशुल्क और कर - स्वामित्व (भारित)	50,00,000 (रूपये पचास लाख मात्र)
4	55	2059010530301 राजभवन लखनऊ परिसर - भवन	26 मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र (भारित)	1,60,00,000 (रूपये एक करोड़ साठ लाख मात्र)
5	55	2059010530301 राजभवन लखनऊ परिसर - भवन	29 अनुरक्षण (भारित)	2,70,00,000 (रूपये दो करोड़ सत्तर लाख मात्र)
कुल				**5,30,50,000 (रूपये पाँच करोड़ तीस लाख पचास हजार मात्र)**

http://shasanadesh.upgov.in

लेखाशीर्ष : 2059608000301(इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के अधिकार में छोटे निर्माण कार्यों के लिये रक्षित धनराशि)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	55	2059608000301 इलाहाबाद में उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार के अधिकार में छोटे निर्माण कार्यों के लिये रक्षित धनराशि	29 अनुरक्षण	30,00,000 (रूपये तीस लाख मात्र)
कुल				**30,00,000 (रूपये तीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष : 2059800510301(लोक निर्माण विभाग के अनावासीय भवन हेतु प्रमुख अभियन्ता के अधिकार में लघु तथा छोटे कार्यों के लिये आवर्तक रक्षित धनराशि)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	55	2059800510301 लोक निर्माण विभाग के अनावासीय भवन हेतु प्रमुख अभियन्ता के अधिकार में लघु तथा छोटे कार्यों के लिये आवर्तक रक्षित धनराशि	29 अनुरक्षण	30,00,000 (रूपये तीस लाख मात्र)
कुल				**30,00,000 (रूपये तीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष : 2059800530600(सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	55	2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत	09 विद्युत देय	6,00,00,000 (रूपये छः करोड़ मात्र)
2	55	2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत	10 जलकर/जल प्रभार	2,50,00,000 (रूपये दो करोड़ पचास लाख मात्र)
3	55	2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	5,00,00,000 (रूपये पांच करोड़ मात्र)
4	55	2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, -सामान्य एवं विशेष मरम्मत	13 टेलीफोन पर व्यय	3,50,000 (रूपये तीन लाख पचास हजार मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

5	55	2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, - सामान्य एवं विशेष मरम्मत	17 किराया, उपशुल्क और कर - स्वामित्व	3,00,00,000 (रूपये तीन करोड़ मात्र)
6	55	2059800530600 सर्किट हाउस निरीक्षण भवन एवं कार्यालय भवनों का अनुरक्षण, - सामान्य एवं विशेष मरम्मत	29 अनुरक्षण	20,67,50,000 (रूपये बीस करोड़ सरसठ लाख पचास हजार मात्र)
कुल				**37,21,00,000 (रूपये सैंतीस करोड़ इक्कीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष : 2059800531900(प्रदेश के सर्किट हाउस एवं निरीक्षण गृहों में स्थापित जनरेटर के संचालन हेतु डीजल की व्यवस्था)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	55	2059800531900 प्रदेश के सर्किट हाउस एवं निरीक्षण गृहों में स्थापित जनरेटर के संचालन हेतु डीजल की व्यवस्था	42 अन्य व्यय	50,00,000 (रूपये पचास लाख मात्र)
कुल				**50,00,000 (रूपये पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष : 2216017000301(राज्यपाल का पदावास - राजभवन में सुधार सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिये मुख्य अभियन्ता के अधिकार में रक्षित धनराशि)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	55	2216017000301 राज्यपाल का पदावास - राजभवन में सुधार सम्बन्धी निर्माण कार्यों के लिये मुख्य अभियन्ता के अधिकार में रक्षित धनराशि	29 अनुरक्षण (भारित)	10,00,000 (रूपये दस लाख मात्र)
कुल				**10,00,000 (रूपये दस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष : 2216017000302(राजभवन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	55	2216017000302 राजभवन	08 कार्यालय व्यय (भारित)	15,00,000 (रूपये पंद्रह लाख मात्र)
2	55	2216017000302 राजभवन	09 विद्युत देय (भारित)	35,00,000 (रूपये पैंतीस लाख मात्र)

http://shasanadesh.up.gov.in

3	55	2216017000302 राजभवन	10 जलकर/जलप्रभार (भारित)	50,000 (रूपये पचास हजार मात्र)
4	55	2216017000302 राजभवन	29 अनुरक्षण (भारित)	80,00,000 (रूपये अस्सी लाख मात्र)
5	55	2216017000302 राजभवन	51 वर्दी व्यय (भारित)	50,000 (रूपये पचास हजार मात्र)
कुल				**1,31,00,000 (रूपये एक करोड़ इकतीस लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष : 2216017000500(सामान्य एवं विशेष मरम्मत-)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	55	2216017000500 सामान्य एवं विशेष मरम्मत-	09 विद्युत देय	1,00,00,000 (रूपये एक करोड़ मात्र)
2	55	2216017000500 सामान्य एवं विशेष मरम्मत-	10 जलकर/जलप्रभार	1,00,00,000 (रूपये एक करोड़ मात्र)
3	55	2216017000500 सामान्य एवं विशेष मरम्मत-	17 किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व	1,00,00,000 (रूपये एक करोड़ मात्र)
4	55	2216017000500 सामान्य एवं विशेष मरम्मत-	29 अनुरक्षण	39,00,00,000 (रूपये उन्तालिस करोड़ मात्र)
कुल				**42,00,00,000 (रूपये बयालिस करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष : 4216017000538(राजभवन, लखनऊ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	55	4216017000538 (राजभवन, लखनऊ)	25 लघु निर्माण कार्य (भारित)	85,00,000 (रूपये पचासी लाख मात्र)
कुल				**85,00,000 (रूपये पचासी लाख मात्र)**

महायोग	**87,87,50,000 (रूपये सतासी करोड़ सतासी लाख पचास हजार मात्र)**

के नाम डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-02/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
कामता प्रसाद सिंह
विशेष सचिव।

संख्या:-101(1)/2023/001-419-23-5-2023तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- विशेष सचिव, श्री राज्यपाल सचिवालय, उ0प्र0।
4- प्रमुख अभियन्ता(परि0/नियो0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
5- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
8- वित्त(व्यय नियंत्रक) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 व 2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
नीरजा सक्सेना
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in